उ0प्र0 स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन (विस्तार),

लखनऊ- 226001

पत्रांकः /ट्रस्ट/पेंशन/को0मु0 दिनांकः

'ई0मेल' समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा) "आवश्यक एवं महत्वपूर्ण"

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 रा0वि0उ0नि0लि0/

उ0प्र0 ज0वि0नि0लि0/समस्त डिस्कॉम/केस्कों

विषय :– कोषागार के माध्यम से ऊर्जा निगम के सेवानिवृत्त कार्मिको को अनन्तिम पेंशन का भुगतान।

कृपया उपरोक्त विषयक प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र संख्या 02/2018/810/24-पी-2-17-सा0(84/2014) दिनांक 26.03.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, सम्प्रति उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के अधीन सभी वितरण कम्पनियों, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 के ऐसे सेवानिवृत्त कार्मिक जिन्हें सेवानिवृत्त लाभों यथा पेंशन, उपादान राशि अनुमन्य है, का, अनन्तिम पेंशन एवं अनन्तिम उपादान राशि का भुगतान दिनांक 01.04.2018 से सम्बन्धित जनपद के कोषागार से किया जाना एवं प्रक्रिया के सम्बन्ध में आदेशित किया गया है।

इस परिप्रेक्ष्य में स्पष्टता एवं एकरूपता को ध्यान में रखते हुए निम्न बिन्दुओं को संज्ञान में लिया जाए:–

1. माह अप्रैल, 2018 से अनन्तिम पेंशन एवं अनन्तिम उपादान राशि का भुगतान पेंशन वितरण इकाई के स्थान पर कोषागार द्वारा किया जाएगा।
2. जनपद के पेंशन वितरण इकाई के आहरण एवं वितरण अधिकारी अधिकृत अधिकारी के रूप में कार्य निष्पादन करेंगे तथा पूर्व शासनादेश 1/2016/41/24-पी०-2-16-सा०(84)/2014 दिनांक 13.01.2016 की अनुरूपता में अनन्तिम पेंशनभोक्ताओं की कम्पनीवार कोड सहित सूचना समेकित करते हुए प्रतिमाह अनन्तिम पेंशन/अनन्तिम उपादान का भुगतान सुनिश्चित कराने हेतु कोषागार से समन्वय कर अनन्तिम पेंशन/अनन्तिम उपादान भुगतान आदेश फोटो आई0डी0 एवं बैंक खाते का विवरण (जिसमें पेंशन भुगतान प्राप्त किया जाना है) की पासबुक की स्वहस्ताक्षरित प्रति के साथ संगत ट्रेजरी बिल फार्म पर अनन्तिम पेंशन के भुगतान हेतु सम्बन्धित बीजक/बिल, ट्रस्ट द्वारा कम्पनी स्तर पर कोषागार के कार्य हेतु अधिकृत अधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित किये जाने के उपरान्त कोषागार को प्रस्तुत किया जायेगा।
3. जनपद के पेंशन वितरण इकाई के आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट द्वारा कम्पनी स्तर पर कोषागार सम्बन्धित कार्य हेतु अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाणित कराये जाने के उपरान्त जनपदीय कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।
4. पेंशन वितरण इकाई के आहरण एवं वितरण अधिकारी प्रत्येक अनन्तिम पेंशन भोक्ताओं को अवगत करायेंगे कि दिनांक 01.04.2018 से अनन्तिम पेंशन एवं अनन्तिम ग्रेच्यूटी का भुगतान जनपदीय कोषागार के माध्यम से किया जायेगा जिसके लिये प्रत्येक अनन्तिम पेंशन भोक्ता अपने बैंक खाते (जिसमें पेंशन भुगतान प्राप्त किया जाना है) की पासबुक की मूलप्रति एवं पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति कोषागार में प्रस्तुत करेंगे जिससे बैंक खाते में ई-पेमेंट द्वारा अनन्तिम/अनन्तिम ग्रेच्यूटी अन्तरित की जाएगी।

(पी०के० गुप्ता)
महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)
एवं सचिव (ट्रस्ट)

पत्र सं०-223/ट्रस्ट/पेंशन/को0मु0 तद्दिनांकः 23/4/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक (वित्त) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०/उ०प्र०पा०ट्रॉ०का०लि०/उ०प्र०ज०वि०नि०लि०, डिस्कॉम लखनऊ, मेरठ, आगरा, वाराणसी एवं केस्को कानपुर।
2. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 शक्ति भवन, लखनऊ।
3. ई0मेल0 समस्त उप महाप्रबन्धक/उप मुख्य लेखाधिकारी, प0क्षे0ले0 कार्यालय (वि0) समस्त डिस्काम एवं केस्को।
4. समस्त उप महाप्रबन्धक/उप मुख्य लेखाधिकारी, प0क्षे0ले0 कार्यालय (पारे0) उ०प्र०पा०ट्रॉ०का०लि०/ प0क्षे0ले0 (सामग्री प्रबन्ध) लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद, मेरठ/केस्का कानपुर।
5. अधिशासी अभियंता (कम्प्यूटर), उ0प्र0स्टे0पा0से0इ0ट्रस्ट, शक्ति भवन, लखनऊ, वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
6. सहायक लेखाधिकारी/लेखाधिकारी, ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(पी०के० गुप्ता)
महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)
एवं सचिव (ट्रस्ट)